

प्रेषक,

डी० के० सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: १५ फरवरी, 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु दैवी आपदा राहत कार्य के अन्तर्गत ग्रीष्म ऋतु में पेयजल आपूर्ति हेतु पेयजल आपूर्ति मद में धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-546/तेरह-दैवी आपदा(मु०गा०ले०), दिनांक 19.01.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद मीरजापुर के तहसील लालगंज के ग्राम लहुरियादह में टैकर द्वारा जलापूर्ति किये जाने का उल्लेख करते हुये रु० 11,535 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में टैकर द्वारा की गयी जलापूर्ति पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रु० 11,53,500/- (रूपये ग्यारह लाख तिरपन हजार पाँच सौ मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05 स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह धनराशि केवल पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में टैकर, टैकर संचालन/मरम्मत में व्यय के भुगतान पर नियमानुसार उपयोग की जायेगी। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदाचि न किया जाय।

4- राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता वितरण करने के उद्देश्य से राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस०डी०आर०एफ०) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एन०डी०आर०एफ०) में सहायता देने की मर्दों और मापदण्डों में संशोधन सम्बन्धी भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रवन्धन प्रभाग) के पत्र दिनांक 08.04.2015 के प्रस्तर-3 (राहत उपाय) के उप प्रस्तर-ग में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

5- राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

6- आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20.06.2015 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.य०पी०.एनआईसी०.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाए। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-य०३०-२/१-११-२०१३-रा०-११, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई वचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2016 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

7- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-५ भाग-१ के प्रस्तर-३६९ एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-४२ आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये। व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही माटों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(ई० के० सिंह)

सचिव ।

संख्या-७२(१)/१-१०-१६ , तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, ३०प्र० इलाहाबाद ।
- 2- मण्डलायुक्त मीरजापुर ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, ३०प्र० लखनऊ।
- 4- निजी सचिव प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, ३०प्र० शासन ।
- 5- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.य०पी०.एनआईसी०.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, ३०प्र०।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, मीरजापुर ।
- 8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-५
- 9- समीक्षा अधिकारी राजस्व अनुभाग-१०/ राजस्व अनुभाग-६ राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 10- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(मदन मोहन)

अनु सचिव।